



Neutral Citation No.-2026:AHC:6832

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-15842 वर्ष 2025**

बिट्टू सागर @ भांजा ..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकेश जोशी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से दायर दूसरी ज़मानत याचिका है। पहले मामले को इस न्यायालय की सह-आयोजक पीठ ने दिनांक 30.7.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जो 2023 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-7482 में पारित किया गया था। उक्त आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं है।
4. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 376, 201 भ०द०वि०, थाना-मझोला, ज़िला: मुरादाबाद के तहत 2021 के मामले में ज़मानत मांगी है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका नाम सामने आया है, जिसके तहत आवेदक को 13.2.2021 को रात लगभग 8.50 बजे मृत व्यक्ति के साथ देखा गया था। उक्त समय शव परीक्षण रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार,

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृत्यु का समय परीक्षा से अठारह घंटे पहले था, जो 14.2.2021 को शाम 4.30 बजे आयोजित की गई थी, इसलिए आवेदक ज़मानत का हकदार है। इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की थी। दिनांक 13.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट में अब तक चार गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। उक्त रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उक्त मामले में बचाव पक्ष द्वारा कोई स्थगन नहीं लिया गया था। मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है,

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे समझाया गया है। आवेदक 20.2.2021 से जेल में बंद है, यानी कैद की अवधि पांच साल से लगभग एक महीने कम हो जाती है, इस तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे समझाया गया है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा ज़मानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

9. **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2024 आई.एन.एस.सी. 645** में आरोपी को ज़मानत देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा है:

7. पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, हम निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं:

(i) अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है;

(ii) आज की तारीख तक, विचारण न्यायालय आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही नहीं कर पाया है; तथा

*अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(iii) जैसा कि राज्य और एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया है, अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी गवाहों से पूछताछ करने का इरादा रखता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि किस अवधि तक, परीक्षण अंततः समाप्त हो जाएगा। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक अभियुक्त को भारत के संविधान के तहत निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

9. समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

10. उपरोक्त संदर्भ में, हम विचारण अदालतों और उच्च न्यायालयों को याद दिला सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा **गुडिकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय द्वारा (1978) 1 एस.सी.सी. 240** में रिपोर्ट की गई थी। हम उद्धृत करते हैं:

"जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, और इसलिए याद दिलाया जाता है, वह किसी व्यक्ति को सुनवाई या अपील के निपटान तक न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य है। लॉर्ड रसेल, सीजे, ने कहा [आर बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैंने देखा कि इस मामले में कैदी के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह देश के मजिस्ट्रेट पर बहुत दृढ़ता से प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि यह कि जमानत की आवश्यकताएं केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए हैं।

10. **गुरबख्श सिंह सिब्बा बनाम (1980) 2 एस.सी.सी. 565** में रिपोर्ट किए गए पंजाब राज्य; **हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एस.सी.सी. 81**; **कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 3 एस.सी.सी. 671** और **अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक (1992) 1 एस.सी.सी. 225**; **मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 आई.एन.एस.सी. 311**; **एक दोषी कैदी बनाम राज्य 1993 सीआरआई एलजे 3242**; **भारत संघ बनाम केए नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713**; **इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम सीबीआई, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 695** इत्यादि को संदर्भित किया और उच्चतम न्यायालय ने इसी सिद्धांत को दोहराया था।



11. सैंथिल बालाजी बनाम के मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC 739 के उप निदेशक, आरोपी को 15 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि "मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और ज़मानत देने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं जा सकती है"।

12. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में रिपोर्ट किए गए मामले में, लंबे समय तक कैद और अत्यधिक देरी ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसने धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम सहित कई अधिनियमों के संबंध में ज़मानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया।

13. उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10455-10456/2025 रामनाथ मिश्रा @ रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में पारित अपने नवीनतम फैसले में दोहराया कि अदालतों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को अत्यंत तेजी से संबोधित किया जाना चाहिए। आरोपी पहले ही तात्कालिक और संबंधित मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद था। उच्च न्यायालय द्वारा उसके आवेदन पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों के लिए त्वरित निर्णय लेने पर जोर देते हुए, लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण कारावास को भी ध्यान में रखा गया।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज तक केवल चार गवाहों की जांच की गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

15. आवेदक- बिट्टू सागर @ भांजा, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

12 जनवरी, 2026\शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)